03

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

(म०प्र०)

R. 5046-दो/16

1- भीमसेन पिता श्री रामकृपाल साकेत,

2- छोटेलाल पिता रामखिलाल साकेत

3- मंगल साकेत तनय रामखेलावन साकेत

सभी निवासी ग्राम पटना तह० गुढ़ जिला रीवाम०प्र०, --- आवेदक / निगरानी कर्तागण

बनाम

=====

शासन म०प्र०, --- उत्तरार्थी/अना०

निगरानी विरूद्ध निर्णय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित राजस्व प्र०क्र०" 413/अपील /15-16 पारित आदेश दिनांक 14/1/2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा०संहिता 1959ई०,

3.2.16

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपरकमिश्नर महोदय, प्र०क्र०- 413 /अपील / 2015/16 निर्णय दिनांक 14-1-16 विधिक तथ्यों पर ध्यान न देकर प्रकरण को दायरा बिन्दु पर ही निरस्त कर दिया गया है, जो काबिल निरस्तगी योग्य हैं।

2- यह कि निगरानीकर्तागण ग्राम पटना तह० गुढ़ जिला रीवा म०प्र० के निवासी हैं, तथा आवेदक /निगरानीकर्तागण भूमिहीन व्यक्ति है, एक लम्बे अर्से से उपरोक्त आराजी पर काबिज है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार महो० तह०के द्वारा धारा 248 बेदखल करने की कार्यवाही विधि विरूद्ध है। तथा तहसीलदार महोदय के राजस्व प्रकरण क्र.- 6 व 8/अ68 /99-2000 आदेश दिनांक 20-12-2001 का आदेश न्यायसंगत न होने से काबिल निरस्तगी के था, जिसकी अपील अपीलांट /आवेदक

क्र:

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0– **R.5046–II** / 16 जिला–रीवा

भीमसेन साकेत / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
18.07.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक के अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह ने दिनांक 13.07.17 को उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने का लेख किया है। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अनावेदक की ओर से श्री श्रवण पाण्डेय उपस्थित। सदस्य	